

पत्रांक:-...../

पटना, दिनांक:-.....

सं०सं०-०३/उ०नि०/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-११/२०१८

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)  
बिहार, पटना।

**विषय:-** जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा के कैम्पस में प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण हेतु कुल अनुमानित लागत ₹700.00 लाख (सात करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति संबंध में।

**आदेश :-** स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-10.12.2018 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर माननीय मंत्री उद्योग विभाग का अनुमोदन सं०सं०-सं०सं०-०३/उ०नि०/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-११/२०१८, के पृष्ठ सं०-02/टि० पर प्राप्त होने के उपरांत ज्ञापांक-4373, दिनांक-06.12.2018 द्वारा निर्गत कार्यवाही के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा के कैम्पस में उपलब्ध 0.7704 एकड़ जमीन पर प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण हेतु अनुमानित लागत कुल ₹700.00 लाख (सात करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) का निर्माण कार्य जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा के कैम्पस में उपलब्ध 0.7704 एकड़ जमीन पर अनुमोदित मॉडल नक्शा एवं पी०पी०आर० के अनुरूप किया जायेगा। जिसका कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को नामित किया गया है।
- प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण का कार्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा कराया जाएगा एवं राशि के व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
- उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यशीर्ष-2852 उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0163, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, मॉग सं०-23, विपत्र कोड-23-2852.80.102.0163 अन्तर्गत विषय शीर्ष-0163.27.01 लघु कार्य मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के नोडल पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना होंगे।
- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे।
- इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बी०टी०सी० फार्म सं०-46, पर होगी तथा इस राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना के पी०एल० खाता सं०-268, में उपलब्ध कराई जाएगी। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक-8244, दिनांक-02.08.10 एवं पत्रांक-500, दिनांक-18.01.11 में निहित अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से माननीय मंत्री की स्वीकृति संचिका सं०-०३/उ०नि०/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-११/२०१८, के पृष्ठ-02/टि० पर प्राप्त है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं० सं०-03/उ०नि०/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-11/2018 के पृष्ठ सं०-06/टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि०(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../  
सं० सं०-03/उ०नि०/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-11/2018

प्रतिलिपि.-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../  
सं० सं०-03/उ०नि०/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-11/2018

प्रतिलिपि.-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.../18/12/18

ज्ञापांक 4630...../  
सं० सं०-03/उ०नि०/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-11/2018

प्रतिलिपि.- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ०नि०)/प्रशाखा-2 (उ०नि०)/प्रशाखा-1 योजना (स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।